

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना पत्र सं०

136 / 2016

2016/00195

25-11-16
20/11/16
17/3/17
21/4/17
21-6-12

- श्रीमती लाडा पुत्री स्व० श्री छोदू पत्नि कानाराम जाति नायक निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अंराई
- श्रीमती कमला पुत्री स्व० श्री छोदू पत्नि राधाकिशन जाति नायक निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अंराई
- श्रीमती सोनी पुत्री स्व० श्री छोदू पत्नि गणेश जाति नायक निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अंराई
- श्रीमती मनभर पुत्री स्व० श्री छोदू पत्नि रामेश्वर जाति नायक निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अंराई

प्रार्थीगण


बनाम

- बन्नालाल पुत्र स्व० श्री अज्जा, जाति नायक, निवासी ग्राम सील तहसील अंराई जिला अजमेर राज०
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज०
- उप पंजीयक अंराई तहसील अंराई जिला अजमेर राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त कारी अधिनियम

दिनांक 01.09.2016 को यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री इन्देश कुमार द्वारा मूल वाद के साथ प्रस्तुत किया। बाद जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर उन्हें एक पक्षीय सुना गया एवं पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र के पैरा सं० 2 में वर्णित ग्राम सील स्थित विवादित भूमि ख०नं० 146 रकबा 01-17-00 एवं ख०नं० 149 रकबा 00-07-00 भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने, भूमि का बैचान नहीं करने एवं मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 3-10-16 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

25-10-16

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारानउप
वी ओ. साहब दीरे/अधिकांश पर पत्राई है। अत
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दि. 25/11/16

दि. 25-11-16

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप। तहसीली/जज्जाव/
दस्तावेजों/साक्ष्य/सुनने हेतु समय चाहा अतः पत्रावली
वास्ते 20/11/17 दिनांक 20-11-17 को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

20/11/17

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारानउप
वी ओ. साहब दीरे/अधिकांश पर पत्राई है। अत
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार दि. 17/3/17

दि. 17/3/17

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप। तहसीली/जज्जाव/
दस्तावेजों/साक्ष्य/सुनने हेतु समय चाहा अतः पत्रावली
वास्ते 21/4/17 दिनांक 21-4-17 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

25/9/15
 पत्रिकाची पेसा हुई। वकील पदावलीत उपस्थित।
 P.O. सहज सुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश
 पर पत्रारे। पत्रावली पूर्व ज्ञापनानुसार.....
 दिनांक 12/9/15 को पेसा हो।

12-9-15 पत्रावली पंचदशी वकीलपत्रावली 340/पत्रा/2
 के लिए जो रिपोर्ट ली जा करिता कानून निदेशक
 ही पत्रावली दिनांक 17/10/15 को बिल दी जाए

17/10/15. पत्रावली पंचदशी वकीलपत्रावली 340/
 न्यायालय कार्य में सुन-र का दिनांक 17/10/15
 गत दिनांक व वकीलपत्रावली 340/पत्रा/2
 कानून एका ही कानून पत्रा में लाकर
 किन्ना पत्राए पत्रावली पंचदशी पर हो
 न्याय कानून ए/ जाए